



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/ 363

दिनांक 1.9.2021

**आदेश**

कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 के लिए नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

क्र.सं.	विवरण	पूर्व निर्धारित दिनांक	परिवर्तित नवीन दिनांक
1	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 2021	30 सितम्बर 2021

(संदेश नायक, IAS)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. समस्त नोडल अधिकारी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेज कर लेख है कि संस्था के लिए निरीक्षण (यदि आवश्यक हो) अविलम्ब पूर्ण करते हुए संस्था द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों को नियमानुसार प्रामाणित करते हुए विभागीय आदेश क्रमांक 359 दिनांक 13.08.21 में संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करें।
6. समस्त निजी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे कमीपूर्ति दस्तावेज नोडल अधिकारी से प्रामाणित करवाकर दिनांक 24 सितम्बर 2021 तक हार्ड कापी आयुक्तालय को प्रस्तुत करें अन्यथा आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।
7. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(नि.सं.)